Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झुंझुनूं में डिस्ट्रीक्ट कार्डिनेटर, पी.सी.पी.एन.डी.टी. (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) 13 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *12 मई, शुक्रवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज झुंझुनूं में कार्यवाही करते हुये संदीप शर्मा डिस्ट्रीक्ट कार्डिनेटर, पी.सी.पी.एन.डी.टी. (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) जिला झुंझुनूं को परिवादी से **13 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नये सोनोग्राफी सेन्टर खोलने के रजिस्ट्रेशन कराने की एवज में संदीप शर्मा डिस्ट्रीक्ट कार्डिनेटर, पी.सी.पी.एन.डी.टी. (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) जिला झुंझुनूं द्वारा **13 हजार रूपये एवं तीन मंहगी शराब की बोतलें** रिश्वत के रूप में मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के निर्देशन में एसीबी की सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश जांगिड़** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चंद** द्वारा मय टीम के झुंझुनूं में ट्रेप कार्यवाही करते हुये संदीप शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा निवासी उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं हाल डिस्ट्रीक्ट कार्डिनेटर, पी.सी.पी.एन.डी.टी. (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) जिला झुंझुनूं को परिवादी से **13 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी डिस्ट्रीक्ट कार्डिनेटर द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **दो मंहगी शराब (टीचरस् ब्राण्ड) की बोतलें** ले चुका था।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।